

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1041 /

जबलपुर, दिनांक 15/03/2022

श्रीमती कृष्णा सिंह, Secretary to the Judge, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को म.प्र. सिविल सेवायें (अवकाश) नियम 38 के अनुसार दिनांक 08.06.2021 से 04.12.2021 तक 180 दिन का प्रसूति अवकाश एवं अवकाश नियम 38 (ग) के अनुसार दिनांक 05.12.2021 से 15.05.2022 तक 162 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार


सही /-
(कृष्णमूर्ति मिश्र)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1042 /

जबलपुर, दिनांक / / 2022

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती कृष्णा सिंह, Secretary to the Judge, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे) 11/3/2022
ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.
A